HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 14109/2025

Dilip S/o Havji, Aged About 30 Years, R/o Tilgari Police Station Danpur District Banswara At Present Lodged In District Jail Banswara

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Ms. Ranjana Singh Mertia
For Respondent(s)	:	Mr. Sameer Pareek, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

25/03/2026

01. प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा **483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता**, पुलिस थाना **दानपुर,** जिला **बांसवाड़ा** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **25/2024,** अपराध अन्तर्गत धारा **363, 366, 344, 376(2)(ढ) भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 5(ठ)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम** के मामले में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत हुआ है।

02. बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

03. प्रार्थी–अभियुक्त के योग्य अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि इस मामले में पीड़िता ने जमीन के विवाद को लेकर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है। पीड़िता व उसकी माँ ने यह स्वीकार किया है कि यदि जमीन का विवाद निपट जाता तो वे मुकदमा दर्ज नहीं करवाते। इस आधार पर प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए प्रार्थी–अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया।

05. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। इस मामले में घटना के समय पीड़िता 17 वर्ष की बताई गई है। पी.डब्ल्यू.1 पीड़िता ने स्पष्ट रूप से उसे प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा जबरदस्ती ले जाना और जबरन गलत काम करना, 12–13 दिनों तक बंधक बनाये रखना बताया है। पीड़िता ने यह कथन गलत बताया कि प्रार्थी–अभियुक्त ने उसके साथ गलत काम न किया हो।

06. ऐसी अवस्था में इस मामले के गुणावगुण पर विवेचन किये बगैर तथ्यों व परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

07. अतः यह जमानत का आवेदन पत्र खारिज किया जाता है।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

29-divyashri/-